न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 534–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–2–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 40 पुर्नविलोकन /14–15/री–1.

मेहताब सिंह पुत्र स्व0 श्री पूरन सिंह
निवासी ग्राम उमरिया तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन द्वारा मुख्त्यारआम अवतार सिंह पुत्र
मेहताब सिंह निवासी 5/51 इसरानी मार्केट
हमीदिया रोड भोपाल म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 जसवंत कौर पत्नी स्व0 श्री हीरा सिंह
2 रविन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
3 सतवीर कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
4 राजेन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
5 सतनाम कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
6 गुरविन्दर कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
7 उखेद कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
8 सुमित कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
9 तरनजीत कौर पुत्री स्व0 श्री हीरा सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम उमरिया तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नामांतरण पंजी क्रमांक 6 पर दिनांक 22–1–1988 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम आमछाकला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 116 रकबा 12.36 एकड़ पर स्वर्गीय हीरालाल का वसीयत के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–2–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अपील में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणदोष के आधार पर नामांतरण प्रकरण का निराकरण किया जाये । उक्त आदेश के तारतम्य में आवेदक द्वारा अपर तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–7–2012 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये वसीयतग्रहिता स्वर्गीय हीरा सिंह के वारिसों के नाम प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 25–11–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई तथा यह भी आदेशित किया गया कि वसीयत के आधार पर स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय के माध्यम से कराने के लिये पक्षकार स्वतंत्र है । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा दिनांक 23–2–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर पुर्नविलोकन

आवेदन पत्र ग्राह्य किया गया तथा उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25–11–2014 के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही नामांतरण की कार्यवाही स्थगित की गई एवं प्रकरण गुणदोष पर बहस हेतु नियत किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया था, जिसे आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश में पुर्नविलोकन का आधार उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उनके द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र ग्राह्य करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 151 के अंतर्गत पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता की धारा 151 के अंतर्गत पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुर्नविलोकन के लिये संहिता की धारा 51 में उपलब्ध तीन आधारों में से कोई भी आधार उपलब्ध नहीं होने के बावजूद आयुक्त द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र ग्राह्य करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा पुर्नविलोकन ग्राह्य करने का कोई कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा पूर्व आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में जब आयुक्त को स्वत्व के निराकरण के अधिकार नहीं है तब पुर्नविलोकन ग्राह्य करना अनुचित कार्यवाही है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के समक्ष अभी पुर्नविलोकन प्रकरण विचाराधीन है, जहां आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयत है, जिसे प्रमाणित भी किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अभी अपने आदेश को निरस्त नहीं किया गया है, इसलिये यह निगरानी प्रीम्योच्योर है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 151 का उल्लेख टायपिंग त्रुटि है, वास्तव में पुर्नविलोकन

आवेदन पत्र संहिता की धारा 51 के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष जो बिन्दु उठाये गये थे उन्हें प्रमाणित करने का भार आयुक्त द्वारा अनावेदकगण पर ही डाल दिया गया, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा बिना साक्ष्य का विवेचन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया अभिलेख से परिलक्षित भूल है । तर्क के समर्थन में 1984 राजस्व निर्णय 250 एवं 1994 राजस्व निर्णय 131 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन ग्राह्य करने का आधार अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, जबकि आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि वे पुनर्विलोकन ग्राह्य करने के आदेश में संहिता की धारा 51 के अंतर्गत दर्शाये गये आधारों में से कौन सा आधार उपलब्ध है, इसका उल्लेख करते हुए सकारण आदेश पारित करते । इस प्रकार आयुक्त द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण आयुक्त को सकारण आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनाक 23–2–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण क परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर सकारण आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर